न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 70/2024 बउनवानी ओमप्रकाश मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर पुत्र श्री किशना मीना निवासी जमूल खेडा तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2024/163

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
26.12.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 16.10.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 2 तारीख रजू दिनांक 25.3.1996 किस्म मुतफर्रिक तारीख निर्णय दिनांक 29.3.1996 के अनुसार नियमन की सिफारिश की जाकर उक्त नियमन की मूल पत्रावली उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रेषित किये जाने के आदेश, उक्त पत्रावली उपजिला कलेक्टर स0मा0 के कार्यालय मे भेजने की प्राप्ति रसीद, उक्त पत्रावली पर कार्यवाही नही करने वाले संबंधित कार्मिक /अधिकारी का नाम पता सहित कुल 4 बिन्दुओ की सूचना"* तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/2024/519 दिनांक 20.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2024 में चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसील कार्यालय मे कार्यरत वर्तमान कार्मिको को चार्ज मे नही मिला है। अतः सूचना से संबंधित रिकार्ड के अभाव मे अपीलान्ट को सूचना नही दी गयी है जिसके संबंध में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 475 दिनांक 26.11.2024 से अपीलान्ट को अवगत करवाया जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चाही गयी सूचनाऐ तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आज दिनांक तक प्रार्थी को उपलब्ध नही करवायी गयी है एवं तहसीलदार द्वारा मनगढंत , मिथ्या व भ्रमित जवाब दिया जा रहा है। अतः बिन्दुवार सूचनाऐं अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 16.10.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचनाओ से संबंधित रिकार्ड तहसील सवाईमाधोपुर के कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण सूचना नही दिया जाना बताया गया है, किन्तु सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही होने का विधिसम्मत कारण नही बताया गया है। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही होने का विधिसम्मत कारण बतावे अन्यथा रिकार्ड तलाश करवाकर अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट को निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख हो जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:03:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner